

संघ राज्य प्रशासन, लद्दाख

THE ADMINISTRATION OF
UNION TERRITORY OF LADAKH

सामान्य प्रशासन विभाग

GENERAL ADMINISTRATION
DEPARTMENT

F.No: A/317/2021-Secy - GAD

ई-मेल/email:

gad.utladakh@ladakh.gov.in

यूटी सचिवालय/UT Secretariat

लेह/Leh, Dated:- 07.08.2023

विषय:- 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम मनाने के लिए - नोडल विभाग / नोडल अधिकारी का नामांकन।

संदर्भ- डीओ पत्र संख्या Misc./Secy(C)/2023 दिनांक: - 29जुलाई 2023, संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार

आदेश संख्या 248-LA(GAD) 2023

दिनांक:-07.08.2023

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के 'हर घर तिरंगा कार्यक्रम' में 13 से 15 अगस्त 2023 तक भारत के हर एक घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परिकल्पना की गई है।

तथा इस प्रयास में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित को मंजूरी दी जाती है, यथा :-

1. 'हर घर तिरंगा' अभियान का समन्वय और संघ राज्य / जिला मुख्यालयों में संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामांकन किया जाता है। और
2. आयुक्त / सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, को यूटी स्तर पर समन्वय और भारत सरकार के मंत्रालयों के साथ संवाद के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है और लेह/ कारगिल के उपायुक्तों को अपने संबंधित जिलों में कार्यक्रम से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

नोडल विभाग और नोडल अधिकारिय सुनिश्चित करेंगे कि:

1. लोगों को उनके परिवारों के साथ कार्यक्रम में भाग लेने का प्रोत्साहन देते हुए सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वयं सहायता समूहों, नागरिक समाज आदि के कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों की सक्रिय भूमिका।
2. राष्ट्रीय ध्वज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें और प्रत्येक गांव में ध्वज वितरण और बिक्री के स्थान की पहचान करें। स्थानीय सिलाई समूहों के समर्थन से ध्वज की सिलाई के लिए स्वयं सहायता समूहों की सहायता ली जाएगी।


7.8.2023

३. सभी सरकारी भवन और संस्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।
४. पूरे संघ राज्य में अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक रसद व्यवस्था की जाए ताकि प्रतिभागी वर्चुअल मोड के माध्यम से भी जुड़ सकें। पंफ्लेट, स्टैंडी, बैनर आदि के माध्यम से संचार सामग्री को स्थानीय भाषा में प्रमुखता से प्रदर्शन किया जाए।
५. भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार 13 अगस्त से 15 अगस्त 2023 तक के कार्यक्रम के लिए उचित संवाद योजनाएं विकसित की जा रही हैं।
६. ध्वजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अभियान के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएँ।

संघ राज्य प्रशासन लद्दाख के आदेश से जारी।

हस्ताक्षर/-
(अजीत कुमार साहू) आईएएस
आयुक्त/ सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

को प्रति-

१. सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय।
२. सभी प्रशासनिक सचिव, संघ राज्य प्रशासन, लद्दाख।
३. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, लद्दाख।
४. आयुक्त/सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, लद्दाख।
५. माननीय उपराज्यपाल, लद्दाख के सचिव, उपराज्यपाल महोदय की जानकारी हेतु।
६. उपायुक्त/सीईओ, एलएचडीसी, लेह और कारगिल।
७. सभी निदेशक/विभागों के प्रमुख /मुख्य अभियंता/रजिस्ट्रार आई-जेओएल, लद्दाख।
८. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, वैज्ञानिक-ई एनआईसी, लद्दाख।
९. माननीय सीईसीएस के ओएसडी/निजी सचिव, माननीय सीईसीएस, LAHDC लेह और कारगिल की जानकारी के लिए।
१०. माननीय उपराज्यपाल के सलाहकार के निजी सचिव, सलाहकार महोदय की जानकारी के लिए।
११. अधीक्षक, अभिलेखागार, पुरातत्व एवं संग्रहालय, लद्दाख।
१२. आदेश ई-ऑफिस फ़ाइल।


(Sonam Chhosdon)/सोमन छोसडोन
Deputy Secretary /उप सचिव
General Administration Department/ सामान्य प्रशासन विभाग